



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

No. 1362]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

का.आ. 1545(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 11) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 15 मई, 2017 को ऐसी तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एस-36025/01/2011-एसएस-I]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

S.O. 1545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Employee's Compensation (Amendment) Act, 2017 (11 of 2017), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2017, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. S-36025/01/2011-SS-I]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.